

पुत्र लाभ में डिफेंस  
(आयकर 16 नियम 6 7 जमा किया गया)  
जमायासना अर्थात् अधिकारी सुभ्र पवन महायक कलक्टर टिब्बी

आयकर अधिकारी - सतीश कुमार  
पुत्र लाभ संख्या - 236/2024

- 1 सुभ्र पवन पुत्र पंचप्रकाश जाति जाट निवासी 11 एस.एल.डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 सतीश पुत्र रामसिंहस जाति जाट निवासी 11 एस.एल.डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

- कादीगण

बनाम

- 1 वेदप्रकाश पुत्र सिखरी जाति जाट निवासी 11 एस.एल.डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 2 अजित कुमार पुत्र सिखरी जाति जाट निवासी 11 एस.एल.डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 3 राजीव सिंह पुत्र सिखरी जाति जाट निवासी 11 एस.एल.डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 4 रामसिंहस पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 11 एस.एल.डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 5 सुभाषचन्द्र पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 11 एस.एल.डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 6 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 11 एस.एल.डबल्यू तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
- 7 कृष्णा देवी पुत्री पृथ्वीराज पत्नी देवेन्द्र जाति जाट निवासी वृलीकला तहसील व जिला शिरसा।
- 8 शारदा देवी पुत्री पृथ्वीराज पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी वृलीकला तहसील व जिला शिरसा।
- 9 सुमन देवी पुत्री पृथ्वीराज पत्नी धनश्याम जाति जाट निवासी अली मोहम्मद तहसील व जिला शिरसा।
- 10 सुमन देवी पुत्री पृथ्वीराज पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी अली मोहम्मद व जिला शिरसा।
- 11 सुनीता रानी पुत्री पृथ्वीराज पत्नी छोटाराम जाति जाट निवासी जमाल तहसील व जिला शिरसा।



12. सावित्री पत्नी पृथ्वीराज जाति जाट निवासी 11 एस.एल.डबल्यू, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
13. मुकेश पुत्र वेदप्रकाश जाति जाट निवासी 11 एस.एल.डबल्यू, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
14. अनिता पुत्री रामनिवास पत्नी संदीप जाति जाट निवासी खारिया तहसील व जिला सिरसा।
15. मोनिका पुत्री रामनिवास पत्नी प्रदीप जाति जाट निवासी खारिया तहसील व जिला सिरसा।

— — प्रतिवादीगण

### दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा

निर्णय

दिनांक :- 12.08.2024

वादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 12.08.2024 को रवाति गुप्ताआरएस. उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि



अधिकारी एवं  
यक कलेक्टर  
टिब्बी

- (क). प्रतिवादी संख्या 5 सुभाषचन्द्र को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 11 एस.एल.डबल्यू, के पत्थर नम्बर 201/315(57) किला नम्बर 7/1/0.236 हैक्टर, 14/0.253 हैक्टर, 17/1/0.144 हैक्टर, 18, 22, 23/0.759 हैक्टर, पत्थर नम्बर 199/316(61) किला नम्बर 1/0.145 हैक्टर उत्तरी दिशा।
- (ख). प्रतिवादी संख्या 6 सुरेन्द्र कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 11 एस.एल.डबल्यू, के पत्थर नम्बर 199/316(61) किला नम्बर 1/0.083 हैक्टर दक्षिणी दिशा, 10, 11, 20, 21/1.012 हैक्टर, पत्थर नम्बर 199/317(66) किला नम्बर 1/0.253, 10/0.126 हैक्टर उत्तरी दिशा, चक नम्बर 12 एस.एल.डबल्यू, के पत्थर नम्बर 198/316(30) किला नम्बर 6/0.015, 15/0.016, 16/0.015, 25/0.016 हैक्टर प्रत्येक पूर्वी दिशा।
- (ग). वादी संख्या 1 सुरेश कुमार की आराजी :- चक नम्बर 12 एस.एल.डबल्यू, के पत्थर नम्बर 198/317(39) किला नम्बर 6/0.105 हैक्टर दक्षिणी दिशा, 15/0.228 हैक्टर, 16/0.228 हैक्टर, 25/0.215 हैक्टर।
- (घ). प्रतिवादी संख्या 2 अनिल कुमार को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 11 एस.एल.डबल्यू, के पत्थर नम्बर 200/316(62) किला नम्बर 18/0.253, 19/2/0.208, 22/2/0.208, 23 पत्थर नम्बर 199/317(66) किला नम्बर 11/0.196, 20/0.253, 21/0.139, 22/0.025 हैक्टर।

- (घ) प्रतिवादी संख्या 3 रणजीत सिंह को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 11 एस.एल. डबल्यू के पत्थर नम्बर 199/315(59) किला नम्बर 20/0.253 हैक्टर, चक नम्बर 10 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 83/83 में कुल 1.037 हैक्टर, चक नम्बर 12 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 36/41 में पत्थर नम्बर 198/316(30) किला नम्बर 5/0.253 हैक्टर।
- (ग) वादी संख्या 2 मनोज व प्रतिवादी संख्या 4 रामनिवास को ब0हि0व0 प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 12 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 198/316(30) किला नम्बर 6/0.238, 15/0.237, 16/0.238, 25/0.237 हैक्टर पत्थर नम्बर 198/317(39) किला नम्बर 5/0.253, 6/0.148 हैक्टर, चक नम्बर 11 एस.एल.डबल्यू पत्थर नम्बर 199/317(66) किला नम्बर 10/0.127 हैक्टर, 11/0.057 हैक्टर उत्तरी दिशा।
- (घ) प्रतिवादी संख्या 13 मुकेश को प्राप्त आराजी :- चक नम्बर 12 एस.एल.डबल्यू के पत्थर नम्बर 198/317(39) किला नम्बर 14/0.253, 17/0.253, 24/0.253 हैक्टर।
- (ज) चक नम्बर 13 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 54/66 में कुल 0.432 हैक्टर में से 1/5 हिस्सा वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 13 को ब0हि0व0, शेष 4/5 हिस्सा में प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 ब0हि0व0।

आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 10 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 83/83 में से पृथ्वीराज का नाम कलमजन, चक नम्बर 13 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 54/66, चक नम्बर 12 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 36/41 व चक नम्बर 11 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 48/48 में से पृथ्वीराज का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 12.08.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



(स्वाति गुप्ता)  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलेक्टर  
टिब्बी